

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी - उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 179/2021

दायर दिनांक : 06.07.2021

उनवान

1. राजू पिता रूपा जाति गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश पिता रामलाल जाति जैन निवासी मानपुर तहसील माण्डलगढ़।
2. कालु पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. मांगू पिता कल्याण जाति कुम्हार निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. छोटु पिता घीसी जाति धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री दिनेश तम्बोली (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 07.07.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की ग्राम हरपुरा पटवार हल्का धामणिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 103 की आराजी संख्या 240,245,307/238 कुल किता 3 रकबा 1.0765 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-76 के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पड़ौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।